

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
कार बनाम गंगाशक्ति सिंह 510 गुरदास सिंह राय शिव 15BLD B

स्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत


सं. 126/18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
10-18 -10-18	<p>पटवारी हल्का <u>4840A</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>15BLD B</u> के मुरब्बा नं. <u>236</u> के <u>0-481</u> बीघा, भूमि रकबा <u>426</u> राज है जिस पर श्री <u>गंगाशक्ति सिंह</u> पुत्र श्री <u>गुरदास सिंह</u> जाति <u>राय शिव</u> सा. <u>15BLD B</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2075</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>29/10/18</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया। <u></u></p>	

31/12/18

पञ्चावली जन्मदिन 21/12/18 द्वारा
 एकीकृत शुद्ध फर्दि निवासी पेश की
 गयी जिसमें लैंगिक बोली कल मंडेव
 कि 510 काशीराज. वाट एक 15/12/18 की
 180/- रु की रकम उम्ह बोली लैंगिक
 की गयी FUL द्वारा निवासी शरीर वरिये
 चाकर रु 319 कि 28/12/18 द्वारा राजकोष
 में वना करवा दी गयी जो मांग दर्ज लेखा की
 जावे। पञ्चावली द्वारा तावान शरीर वरिये कल
 अतिकारी को उम्ह रकम से वेदावर कल कल
 एक लिप्का धल कल लिया गया है पञ्चावली
 के शेष कार्यावली अपेक्षा करी है अतः पञ्चावली
 फलदा हुवाट होकर अतिकारी फलदा हो।

घरजिस्टर की पृष्ठ सं. 33... क्र. सं. ...04...
 दिनांक 1-1-19... राशि 180... दर्ज किया।



महसूल तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

रण सं० 126/18

वर्ष 2018

स्थान सरकार बनाम जगदशिसिंह 37 गुरहत सिंह जाति राजेशख 15B4DB

पुतिकरण दिनांक 11-10-18 निर्णय दिनांक 29-10-18

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत


तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
---------------	------------------------------------	---

10-18

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 48 G.B.A. का प्रतिवेदन दिनांक 11-10-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी जगदशिसिंह पुत्र गुरहत सिंह जाति राजेशख निवासी 15B4DB को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 15B4DB मु.नं. 236/426 कुल 0.481 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50 गुणा राशि 36 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12B4DB को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेख दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-10-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


तहसीलदार (राजस्व)
श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 33 की क्रम सं. 02 दिनांक 30-10-18 को 36- दर्ज किया गया।


ता 0 र 10 ले 0